

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2025/III-268/ 1274

दिनांक:- 24-1-2025

सेवा में,

M/s. Sunworld Residency Pvt. Ltd. (Developer)

M/s. Nimbus Projects Ltd. (Co-Developer)

1001-1006, 10th Floor, Narain Manzill,

23 Barakhamba Road,

New Delhi-110001

विषय:- गुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0-01सी, सैक्टर-168 नौएडा के भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा गुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0-01सी सैक्टर-168, नौएडा का प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र पत्र संख्या नौएडा/मु0वा0नि0/2017/III-268/270 दिनांक 11.11.2024 के पुनर्वैधीकरण हेतु दिनांक 22.01.2025 को आवेदन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में आवंटी संस्था द्वारा पुनः पुनर्वैधीकरण हेतु जमा शुल्क का सत्यापन के आधार पर स्वीकृत मानचित्रों की पुनर्वैधीकरण निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:-

1. भवन मानचित्रों की नवीन अधिकतम वैधता सीमा 5 वर्ष अर्थात दिनांक 24.01.2025 से 23.01.2030 तक के लिए अनुमन्य होगी।
2. आवंटी संस्था को समय-समय पर प्राधिकरण एवं शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्युलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा।
4. परियोजना का अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्ति के समय आवंटी संस्था द्वारा सम्बन्धित विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र तथा समयावृद्धि प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आवंटी संस्था को इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग एवं आगन्तुको हेतु पार्किंग (अनुमन्य का 10 प्रतिशत) की व्यवस्था आवंटी संस्था को परिसर के अंदर करना होगा।
6. सन्दर्भित गुप हाऊसिंग योजना के अन्य प्रावधान/नियम/शर्तों पूर्व में जारी स्वीकृति संख्या नौएडा/मु0वा0नि0/2017/III-268/954 दिनांक 20.01.2017 के अनुसार रहेगी।

प्रतिलिपि:- सहा0महाप्रबन्धक (ग्रु0हा0) को सूचनार्थ।

भवदीय,

नाम

पद

नौएडा

वैभव गुप्ता
वरिष्ठ प्रबन्धक(नियो0/वास्